कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत भवन गैलाना रोड, आगरा

उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम

पत्रांक :2530/मु0अ0आ0क्षे0/वा/सी–607(।।)/स्वीकृति दिनांक: 30/6/11

कार्यालय ज्ञापन

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ के आदेश संख्या 548–कार्य–चौदह(पी)/राविप/98–3 के0वी0/95 दिनांक 24.04.1998 एवं उत्तर प्रदेश वितरण कोड–2005 (विद्युत आपूर्ति संहिता 2005) में निहित प्राविधानों के परिपालन में इकाई/संस्था/आवेदन के पक्ष में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है।

क्र0 सं0	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	प्रयोजन	कार्यस्थल
1.	Shri Hitesh Sharma S/o Shri Trilok Chandra Sharma, Omex Eternity near Ashram Vihar, Vrindavan, Mathura.	1960 KW at 11 KV Single point supply.	Residential complex under LMV-HV-1 (a)	Omex Eternity near Ashram Vihar, Vrindavan, Mathura.
इकाई को उपरोक्त 1960 कि0वा0 का विद्युत भार एकल बिन्दु व्यवस्था के अन्तर्गत 11 के0वी0 विभव पर 11 के0वी0 स्वतन्त्र पोषक बनाकर 33/11 के0वी0 उपसंस्थान चैतन्य बिहार, वृन्दावन से निम्न चरणों में निर्गत किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय इकाई को वहन करना पड़ेगा।				

(ए) 500 कि0वा0 – तत्काल।

(बी) 1460 कि0वा0 – दिसम्बर 2011 तक

1. इकाई/संस्था/आवेदक को आई0एस0आई0 एवं प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा प्रमाणित अपने ट्रान्सफार्मर एवं सम्बन्धित स्वीचगियर आदि स्थापित करने होगें।
2. इकाई/संस्था/आवेदक को अपना इलैक्ट्रीकल लाइन डायग्राम का चार्ट, जिसमें ट्रान्सफार्मर का स्थान एवं 11 के0वी0 मीटरिंग पैनल अंकित हो, उसका अनुमोदन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) से प्राप्त करना होगा।
3. कनैक्शन अवमुक्त होने से पहले आवेदक उप निदेशक (विद्युत सुरक्षा) निरीक्षक, उ0प्र0 शासन, द्वारा विद्युतीकरण का निरीक्षण करायेगा तथा निरीक्षण प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के कार्यालय में जमा करायेगा।
4. सन्दर्भित परिसर पर पूर्व में विद्युत बकाया होने की स्थिति में धनराशि जमा करने एवं निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त, यदि और कोई धनराशि देय होगी, उक्त सन्दर्भित धनराशि भी संस्था को भुगतान करनी होगी।
5. प्रभावित 400/220/132/33 के0वी0 उपसंस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।

6. यदि उक्त इकाई/संस्था/आवेदक के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेगें।

7. न्यायालय/मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकारण में किसी भी प्रकार का बकाया राशि, वाद एवं विवाद होने की स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

8. अधिशासी अभियन्ता का दायित्व होगा कि वह विभाग द्वारा निर्गत समस्त अद्यतन आदेशों/निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करेगें।

9. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में दिये गये प्राविधानों का पालन करना होगा।

(एच0एस0 सत्यार्थी)
मुख्य अभियन्ता

प0सं0 2530/मु0अ0आ0क्षे0/वा0/सी–607(II)स्वीकृति/तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विद्युत वितरण मण्डल, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, वृन्दावन, मथुरा।
3. उपभोक्ता श्री हितेश शर्मा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, ओमैक्स एटरनिटी प्रोजेक्ट, आश्रम बिहार के पास, वृन्दावन।

(एच0एस0 सत्यार्थी)
मुख्य अभियन्ता